

				Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	
(7)	(8)	(9)	(10)	
10 th class pass from a recognised Board.	Not applicable	Two years	By direct recruitment	

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1) Principal, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing – Chairperson; 2) Vice-Principal, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing – Member; 3) Associate Professor, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing – Member; 4) Administrative Officer, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing – Member; 5) Office Superintendent, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing – Member.	Not applicable

[F. No. A.11011/23/2018-N]

Dr. RATHI BALACHANDRAN, Assistant Director General (Nursing)

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2019

सा.का.नि.213.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, विकलांग विज्ञान तकनीकी भर्ती नियम, 1987 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अस्थि रोग विज्ञान तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, अस्थि रोग विज्ञान तकनीशियन, भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अस्थि रोग विज्ञान तकनीशियन	1(एक)* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु.) में ऐसे शल्यशाला सहायक में से प्रोन्नति जिन्होंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - अध्यक्ष; 2. उप-निदेशक प्रशासन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज या कलावती सरन बाल अस्पताल - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल का कार्य देखने वाले उपनिदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.11018/17/2016-एमएच-II]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 15th July, 2019

G.S.R.213.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Technician in Orthopaedics Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technician in Orthopaedics, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Technician in Orthopaedics, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technician in Orthopaedics	1(One)* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non Ministerial	Level 4 in the pay matrix. (Rs. 25500-81100)	Non Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion from Operation Theatre Assistant in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital with eight years regular service in Level 2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix.	Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of :- 1.Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman 2.Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College or Kalawati Saran Children's Hospital -Member 3.Deputy Director in Directorate General Of Health Services looking after administration of Lady Hardinge Medical College -Member	Not applicable.

[F. No.A.11018/17/2016-MH II]

G.P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 214.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, टेलीफोन ऑपरेटर भर्ती नियम, 1986 को, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में टेलीफोन ऑपरेटर के उक्त पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (टेलीफोन ऑपरेटर), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2019 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।